

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक हनुमानगढ़

कार्यालय आदेश

श्रीमान निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा / प्रारं
 / ईंविक्स / सी / 19626 / मूल मान्यता / 14-15 / दिनांक 21.5.2014 के द्वारा क्रमोन्नति
 / नवीन मान्यता हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुसरण में निम्नांकित विधालयों द्वारा क्रमोन्नति हेतु
 आददेन करने पर विधालयों का निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण दल की अभिशांसा पर सत्र
 2014-15 से कक्षा 6 छठी व क्रमशः सत्रानुसार कक्षा सातवी, कक्षा आठवीं लगाने की अनुमति
 प्रदान की जाती है।

क्र0स0	नाम विधालय	माध्यम	अनुमति
01	श्री दैईचन्द्र मांगेराम स्मार्ट स्कूल कलाना तह भादरा	अग्रेजी	कक्षा-6(छठी)

अ/ज
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक हनुमानगढ़

क्रमांक:-जिशिअ/हनु/प्रा0/ क्रमोन्नति/2014-15/1037 दिनांक:- ३/७/१५
 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेशित है।

- 01:-ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
- 02:-व्यवस्थापक
- 03:-कार्यालय प्रति ।

अ/ज
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक हनुमानगढ़

०४०२०३०५३

फोन:-01552266238

फैक्स:-01552266268

प्रारूप-2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हनुमानगढ़ राजस्थान

क्रमांक:-जिशिअ/हनु/प्रा०/मान्यता/2012/।।

दिनांक:-।।/।।/।।।।

प्रबन्धक

श्री देव्हचन्द मांगेराम स्मृति संस्थान कलाना

तह: भादरा जिला हनुमानगढ़

विषय:-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की घारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम ॥ के उप नियम (4)के अधीन विधालय का मान्यता प्रमाण-पत्र ।
महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 20.9.2011के आवेदन और इस संबंध में विधालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश श्री देव्हचन्द मांगेराम स्मार्ट स्कूल कलाना (अग्रेजी माध्यम) तह: भादरा को सत्र 2013-14 से तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा 1 से 5 कक्षा तक के लिये अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ । उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्यधीन है ।

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है ।
2. विधालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(उपाबंध 1)और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपाबंध 2)के उपबंधों का पालना करेगा ।
3. विधालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की सख्त्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसक पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा ।
4. पैरा-3में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विधालय को अधिनियम की घारा-12(2)के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा । ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विधालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
5. सोसायटी/विधालय किसी कैपिटेशन-शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कॉलिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा ।
6. विधालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा । यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है ।
7. विधालय सुनिश्चित करेगा कि:-

- (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विधालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।
- (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा ।
- (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।
- (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा ।
- (5) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विधार्थियों का स्मारेश किया जाना ।
- (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की अधारा 23(1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अहंताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विधमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अहंताए नहीं है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अहंताए अर्जित करेगे ।
- (7) अध्यापक अधिनियम की घारा 24(1)के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का गान्धन करेगे ।

(8) अध्यापक सरण्य को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगे ।

9. विधालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।

10.विधालय अधिनियम की धारा-19 में यथानिर्दिष्ट विधालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा । अतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रस्तुतियारे निम्नानुसार है :-

का नामांकन करेगा ।

कुल निर्भित क्षेत्र :-802.78 वर्ग मीटर

कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल :-1692 वर्ग मीटर

कक्षा कमरों की संख्या : 14

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय :-02

पेयजल सुविधा :-है

मिड-डे-मील पकाने के लिए स्मोइः-है

बाधा रहित पहुँच

अध्यापक पठन सामग्री /क्रीड़ा खेलबूट उपरकरों/पुस्तकालय की उपलब्धता:-उपलब्ध है।

11.विधालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विधालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी ।

12.विधालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा रथल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाता है ।

13.विधालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक चाला या जा रहा है ।

14.विधालय को किसी व्यष्टि, व्यक्तियों के समूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है ।

15.विधालय के लेखाओं की चार्टड अकाउटेंट द्वारा संपर्का की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिकशिक्षा)हनुमानगढ़ को भेजी जानी चाहिए 6.आपके विधालय को आवंटित मान्यता कोड 0787 संख्याक है । कृप्या इस नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करे ।

7.विधालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)हनुमानगढ़ द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालना करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत, अनुपालन को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं ।

8.सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि हो को सुनिश्चित किया जाए ।

9.संलग्न उपांक वा के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

गतिशील

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक हनुमानगढ़